

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
 अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
 पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
 प्रकरण संख्या:-352 / 2019

1. सुखप्रीत सिंह पुत्र बलविन्द्रसिंह पुत्र हरंबंशसिंह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2. निशानदीप सिंह पुत्र भोलासिंह नाबालिग जरिये माता जसपाल कौर पत्नी भोलासिंह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. हरबंशसिंह पुत्र रणजीतसिंह | } | जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। |
| 2. बलविन्द्रसिंह } पि० हरंबंशसिंह | | |
| 3. भोलासिंह | | |
| 4. हरप्रीतकौर पुत्री भोलासिंह | | |

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुंझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादीसं० 1 के नाम से चकनं० 1 बी आर डबल्यू के खाता सं० 110/92 में कुल 3.896 है० में से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि के वादीगण सं० 1 व 2 को ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं उपरोक्त अनुसार वादीगण सं० 1 व 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में ब०हि०ब० अंकन कर चकनं० 1 बी आर डबल्यू के खाता सं० 110/92 में प्रतिवादीसं० 1 हरबंशसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा
 मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....01/11/19.....को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी